निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

तारीख दायरा: 20.12.2021

मि0न0 72 / अपील / 21

मांगीलाल आ0 बालूसिंह जाति सौंधिया नि0 रामपुरिया तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पिड़ावा निर्णय दिनांक 22.09.2021
मिसल न0 1109 / 2021

उपस्थित:– श्री अशोक चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

दिनांक: 15.02.2022

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिडावा के आदेश दिनांक 22.09.2021 जो मिसल न0 1109 / 21 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को आराजी ख0न0 566 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा किस्म बंजड़ प्रथम में से 1 बीघा पर अतिक्रमी मानकर 38 / –रू0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड दिया है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करवादी गई है । अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवा दी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाणित मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न0 262 दिनांक 15.10.2020 से 38 / –रू0 शास्ती से दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पिडावा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रमाणित मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा नही होना अंकन किया गया है इसी क्रम में अपीलान्ट उक्त आराजी पर भविष्य में भी कब्जा नही करेगा अण्डर टेकिंग देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम की अवधि में 20000 / – रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य मे उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/22 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
झालावाड